

प्रेस-विज्ञप्ति  
थाना-अहरौला

पुलिस मुठभेड़ में पेट्रोल पम्प पर लूट व हत्या करने वाले दो वांछित गिरफ्तार, लूट की नगदी, 02 देशी तमचा, दो खोखा व तीन जिन्दा कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक- 12 दिसम्बर 2020 को श्री अमित कुमार यादव, श्याम फिलिंग के.एस.के भौगेचा थाना अहरौला द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि आज शाम 07.00 बजे मेरे पेट्रोल पम्प पर तीन बाईक सवार 06 बदमाश कनप्टी पर पिस्टल तानकर आफिस में घुस गये। उनके द्वारा रखे रूपये ले लिए उसके पश्चात जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये। इस सूचना थाना प्रभारी द्वारा मौके का निरीक्षण करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 206/2020 धारा 395/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मौके पर पहुँचकर निरीक्षण किया गया व थाना प्रभारी अहरौला को अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक- 21.12.2020 को थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों की तलाशी कर रहें वो गौरी नहर तिराहा के पास कहीं दुसरी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। अगर शीघ्रता की जाये तो उनको पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए थानाध्यक्ष मय हमराह व जरिये दुरभाष से निरीक्षक श्री आनन्द सिंह स्वाट टीम प्रथम मय टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ हुए पुलिस वाले मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर खड़े दो व्यक्ति कहीं जाने के फिराक में थे। दोनो द्वारा पुलिस को देखते ही गोली चलाकर भागने लगे परन्तु पुलिस फोर्स द्वारा दोनो को खजुरी पुलिस से गौरी नहर के तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों की तलाशी ली गयी तो उनके पास से 1-एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्पलेन्डर इंजन नं0 06 CACE11698 व चेचिस नं0 06CACF11762 ( कीमत 25000 रु0 )2- एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग किपैड3- दो अदद देशी तमन्चा 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस व तीन अदद जिन्दा कारतूस 4- लूट का 5260 रु0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 211/2020 धारा 307/411/412/473 भादवि व 3/25/27 AAct पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पूछताछ का विवरण(संक्षेप में)**- गिरफ्तार अभि0 रुद्र प्रताप सिंह उर्फ लक्की सिंह पुत्र संजय सिंह द्वारा डकैती में सामिल अभि0गणो के नाम बताये गये है तथा थाना बरदह एव खेतासराय जनपद जौनपुर में हत्या करने की सुपाडी लेने के सम्बन्ध में भी जानकारी दी है।

**अपराध का तरीका**- अपने साथियों के साथ मिलकर लूट व हत्या के अपराध कारित करना।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम**

1. रुद्र प्रताप सिंह उर्फ लकी पुत्र संजय सिंह सा0 देवकली, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
2. आतिफ पुत्र आदिल सा0 कोलघाट, थाना-कोतवाली, आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 211/2020 धारा 307/411/412/473 भादवि व 3/25/27 AAct थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास- 1-** अभि0 रुद्र प्रताप सिंह उर्फ लक्की सिंह पुत्र संजय सिंह का अपराधिक इतिहास

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
1	मेहनगर 33/2019	41/411	भादवि
2	मेहनगर 200/2019	379	भादवि
3	मेहनगर 204/2019	379/411/413/419/420	भादवि
4	बरदह 164/2020	386/427/504/506/307/42	0/411/414/467/507/120B/34 भादवि
			व 3/25 A Act
5	सिधारी 96/2020	379	भादवि
6	जहानागंज 223/2019	380	भादवि
7	तरवां 91/2020	2020 379	भादवि
8	अहरौला 211/2020	307/411/412/473	भादवि व 3/25/27 A Act

**2-** अभि0 आतिफ पुत्र आदिल का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
1	कोतवाली 67/2016	356	भादवि
2	कोतवाली 479/2016	22/8	NDPSAct
3	जीयनपुर 310/2017	392	भादवि
4	अहरौला 211/2020	307/411/412/473	भादवि व 3/25/27 A Act
5	कैट(गोरखपुर) 1173/2017	41/411/413	भादवि

**बरामदगी-**

- 1-एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्पलेन्डर ( कीमत 25000 रू0 )
- 2- एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग किपैड
- 3- दो अदद देशी तमन्चा 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस व तीन अदद जिन्दा कारतूस
- 4- लूट का 5260 रू0 नगद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. निरीक्षक श्री आनन्द सिंह, स्वाट टीम प्रथम जनपद-आजमगढ़ मय टीम ।
2. थानाध्यक्ष श्री प्रकाश शुक्ला, अहरौला, जनपद-आजमगढ़ मय हमराह ।